फाइल सख्या-15011/83/2015-न्याय (रा.भा)
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
(राजभाषा अनुभाग)

जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली-110011, दिनांक 04 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन ।

न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के सूचनार्थ यह परिचालित किया जाता है कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के संकल्प पत्रांक-20017/01/2024-राजभाषा (नीति) दिनांक 21.01.2025 के तहत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन किया गया है । यह एक उच्च स्तरीय समिति है तथा अन्य गणमान्य सदस्यों के साथ विधि एवं न्याय मंत्री भी इस समिति के सदस्य हैं ।

यह उच्च स्तरीय समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी । इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संजय कुमार

(संजय कुमार)
अवर सचिव (प्रशासन-I)
दूरभाष : 011-23072137

प्रति :

1. न्याय विभाग के सभी अधिकारी/पदाधिकारी ।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं एनएम,जेआर) के प्रधान स्टाफ अधिकारी ।
3. सचिव (न्याय) के प्रधान निजी सचिव ।
4. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत कि इस पत्र को विभाग की ई-ऑफिस पर अपलोड करने हेतु ।

संकल्प की प्रति के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :

15
1. निदेशक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली।
2. प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल।
3. महा-रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. महा-रजिस्ट्रार सभी उच्च न्यायालय, सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र।